न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी सुनीता मीणा आर0ए0एस

मुकदमा नं0 54/2024

प्रिंस पाईप्स एण्ड फिटिंग लिमिटेड जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री निलेश कुमार शर्मा पुत्र कमलकिशोर शर्मा जाति ब्राह्मण नि0 प्लाट नं0 5 ए1 सूरज नगर निवारू रोड, जयपुर।

प्रार्थी

वनाम

1. रणविजय सिंह यादव पुत्र रणवीर सिंह यादव
2. कविता यादव पुत्री रणवीर सिंह यादव
3. पूनम यादव पुत्री रणवीर सिंह यादव
4. रीमा यादव पुत्री रणवीर सिंह यादव
5. स्नेहलता यादव पत्नि रणवीर सिंह यादव

   समस्त जाति यादव नि0 नि0 16, श्रीराम वाटिका, विवेकानन्द मार्ग, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर
6. तहसीलदार, तहसील जोबनेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेश कुमार शर्मा वकील प्रार्थी
2. श्री लोकेश कुमार शर्मा वकील अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक :– 16/07/2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नं0 122 रकबा 0.5690, खसरा नं0 124/1 रकबा 2.2002 हे0, खसरा नं0 124/4 रकबा 0.6323 हे0, खसरा सं0 127/1 रकबा 2.1497 हे0 वाकै ग्राम आसलपुर तह0 जोबनेर में स्थित हैं, जो सर्म्पूण वादी कम्पनी के स्वत्व व अधिकार व खातेदारी की भूमि है। वादी कम्पनी की आराजी आराजी खसरा नं0 122 खसरा नं0 124/1 खसरा नं0 124/4 खसरा सं0 127/1 आपस में जुडी हुई है जिनके दक्षिण दिशा में प्रतिवादी संख्या 01 लगा0 05 की आराजी खसरा नंबर 123, 124/2, 1077/1 वाकै ग्राम आसलपुर स्थित है। जिस पर तारबंदी करने की आड में प्रतिवादी सं0 01 लगा0 05 बिना सीमाज्ञान के व बिना किसी आदेश के कम्पनी की आराजीयात खसरा नंबर 122, 124/1, 127/1, 124/4 की दक्षिण सीमा पर अतिक्रमण करने की चेष्ठा रखते है। इसी गरज से प्रतिवादी संख्या 01 लगा0 05 द्वारा अपने श्रमिको को बुलाकर दिनांक 07.07.2024 को वादी कम्पनी

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर

के खसरा नंबर 122, 124/1, 127/1, 124/4 की दक्षिण सीमा पर पूर्व निर्धारित सीमा को हटाकर नयी सीमा कायम करने की कोशिश की जिसका प्रतिवादी संख्या 01 लगा0 05 को कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण वादी की कम्पनी की जमीन पर कब्जा करना चाहते है और वादी की आराजी पर पुख्ता तामीरात खडी करना चाहते है इसलिए प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जाना आवश्यक हुआ है। अगर अप्रार्थीगण अपने उद्देश्य में कायमायाम हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी, कब्जे काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न होगा, व्यर्थ में मुकदमे बाजी बढेगी। प्रार्थी द्वारा पूर्व में सीमा ज्ञान करवा कर ही सीमा कायम की थी और अप्रार्थी बिना सीमा ज्ञान ही नई सीमा कायम करना चाहते है इसलिए इनको रोकना आवश्यक है, इस आधार पर प्राईमा फेसी केस व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के ह कमे है। अतः दरख्वास्त अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण 01 लगा0 05 को दौराने वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी कम्पनी के आराजी खसरा नं0 122 रकबा 0.5690, खसरा नं0 124/1 रकबा 2.2002 हे0, खसरा नं0 124/4 रकबा 0.6323 हे0, खसरा सं0 127/1 रकबा 2.1497 हे0 वाकै ग्राम आसलपुर तह0 जोबनेर की दक्षिणी सीमा में प्रवेश नहीं करे, कोई पुख्ता निर्माण नहीं करे, पोल नहीं गाढे, तारबंदी नहीं करे। वादी के खसरा नंबर 122, 124/1, 124/4, 127/1 के दक्षिणी सीमा की तरफ स्थित प्रतिवादीगण 01 लगा0 05 के आराजी खसरा नंबर 123, 124/2, 1077/1 वाकै ग्राम आसलपुर तह0 जोबनेर की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाएं रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 06 के विरूद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगा0 05 द्वारा प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत कर अंकित किया है कि वादी कम्पनी की आराजी खसरा नंबर 122, 124/1, 127/1 व 124/4 के दक्षिण दिशा में प्रतिवादी सं0 01 लगा0 05 की आराजी खसरा नंबर 123, 124/2, 177/1 स्थित होना स्वीकार है। शेष कथन जिस प्रकार से वर्णित किये गये है गलत होने से इंकार है। प्रतिवादी सं0 01 लगा0 05 ने अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 1077/1, 115/1, 117, 123, 124/2 व 1634/116 किता 6 कुल रकबा 5.9053 हे0 वाकै ग्राम आसलपुर तह0 जोबनेर का नियमानुसार तहसीलदार महोदय जोबनेर के यहां सीमाज्ञान बाबत प्रार्थना पत्र पेश किये जाने के पश्चात श्रीमान तहसीलदार जोबनेर द्वारा गठित टीम द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 लगा0 05 की आराजीयात का सीमाज्ञान दिनांक 01.07.2024 को किया गया है। जबकि वादी कम्पनी ने अपनी आराजीयात

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

को कोई सीमाज्ञान अथवा पत्थरगढी नहीं कर रखी है प्रतिवादी सं0 01 लगा0 05 के द्वारा अपनी उक्त खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान करने के पश्चात आराजी की पत्थरगढी किये जाने बाबत माननीय न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र धारा 111/128 भू0 राजस्व अधिनियम पेश कर रखा है जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। वादी कम्पनी का यह कथन कि प्रतिवादीगण वादी की आराजीयात पर कोई अतिकमण करना चाहते है बल्कि सही तथ्य यह है कि वादी कम्पनी ने प्रतिवादी स0 01 लगा0 05 की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात पर जबरन कब्जा कर रखा है। जिसकी स्थिति प्रतिवादी सं0 1 लगा0 05 के द्वारा अपनी आराजीयात की सीमाज्ञान करवाये जाने पर स्पष्ट हुई है। वादी का यह कथन कि प्रतिवादी संख्या 01 लगा0 05 ने दिनांक 07.07.2024 को वादी की आराजी की दक्षिणी सीमा पर पोल गाडने व तारबंदी करने का प्रयास करने से यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। उक्त कथन गलत होने से इंकार है। प्रतिवादी सं0 01 लगा0 05 के द्वारा अपनी उक्त आराजीयात पर फसल की जानवरो से सुरक्षा के लिए पोल गाडकर तारबंदी की जा रही थी तथा वादी की आराजीयात के दक्षिणी सीमा पर भी वाद पेश किये जाने से पूर्व पोल गाड दिये गये थे। जिन पर तारबंदी नही हो सकी तथा वादी कम्पनी द्वारा प्रतिवादी सं0 01 लगा0 05 की खातेदारी भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण को बचाने के लिए गलत तथ्यो के आधार पर यह वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी सं0 01 लगा0 05 ने अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 1077/1, 115/1, 117, 123, 124/2 व 1634/116 किता 6 कुल रकबा 5.9053 हे0 वाकै ग्राम आसलपुर तह0 जोबनेर का नियमानुसार तहसीलदार महोदय जोबनेर के यहां सीमाज्ञान बाबत प्रार्थना पत्र पेश किये जाने के पश्चात श्रीमान तहसीलदार जोबनेर द्वारा गठित टीम द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 लगा0 05 की आराजीयात का सीमाज्ञान दिनांक 01.07.2024 को किया गया है। उक्त सीमाज्ञान के अनुसार प्रतिवादी सं0 01 लगा0 05 की आराजीयात पर वादी का अवैध कब्जा होना व अतिक्रमण होना पाया गया है। वादी कम्पनी द्वारा इस वाद की आड में उक्त अवैध कब्जे व अतिक्रमण को बनाये रखने के लिए गलत तथ्यो के आधार पर यह वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी–वादी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर

बहस वकील फरीकेन पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

01 **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड विवादित आराजी खसरा खसरा नंबर 122, 124/1, 124/4, 127/1 वाकै ग्राम आसलपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है, जो प्रार्थी के स्वामित्व की

आराजीयात है, जिनके दक्षिण दिशा में प्रतिवादी संख्या 01 लगा0 05 की आराजी खसरा नंबर 123, 124/2, 1077/1 वाकै ग्राम आसलपुर स्थित है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी कम्पनी की आराजी की दक्षिण सीमा पर तारबंदी करने की आड में बिना सीमाज्ञान के व बिना किसी आदेश के अतिक्रमण करने की चेष्ठा रखते है। चुकि वर्तमान में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जा चुका है। ऐसी स्थिति बिना सीमाज्ञान व बिना आदेश के अतिक्रमण करने के अपने कथनों को सिद्ध करने में प्रार्थी प्रथम दृष्टया असफल रहे है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है।

02 **सुविधा सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा खसरा नंबर 122, 124/1, 124/4, 127/1 वाकै ग्राम आसलपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है, जो प्रार्थी के स्वामित्व की आराजीयात है, जिनके दक्षिण दिशा में प्रतिवादी संख्या 01 लगा0 05 की आराजी खसरा नंबर 123, 124/2, 1077/1 वाकै ग्राम आसलपुर स्थित है। अप्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार न्यायालय में चाराजोही कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 111, 128 के तहम पत्थरगढी के आदेश प्राप्त किये जा चुके है। अगर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित नहीं हो पाती है तो असुविधा भी अप्रार्थीगण को ही होगी। अगर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अप्रार्थीगण के लिए असुविधाजनक ही होगा। अतः असुविधा भी प्रार्थी की तुलना में अप्रार्थीगण को होगी।

03 **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 08/07/2024 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16/07/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनिता मीणा RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर